

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

वहीनाम वनाम कंठ
किरण मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 110/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21.3.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>वहीनाम वनाम कंठ</u></p> <p>पिता श्री <u>अरविन्द जी वहीनाम</u></p> <p>निवासी <u>अमरपुरा (चित्तौड़गढ़)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में ग्राम <u>अमरपुरा</u> <u>फ.ड. (सामरी), चित्तौड़गढ़</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31</u></p> <p>कुल कीता <u>24</u> कुल रकबा <u>3.2600</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी को जार जी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>अमरपुरा (फ.ड. सामरी)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31</u></p> <p>कुल कीता <u>24</u> रकबा <u>3.2600</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलगेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000</u> रूपये अक्षरे <u>दो हजार रूपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्गित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p>

(बीनू खन्ना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)